

**समाहरणालय, मुंगेर**

(जिला आपूर्ति शाखा)

आदेश

**किरासन तेल के थोक विक्रेताओं के अस्थाई टैगिंग माह-जून, 2018**

सरकार अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक प्र07-कि0आ0 02/2018-2733/खाद्य, पटना दिनांक-07.06.2018 के द्वारा माह जून-2018 के लिए पूर्व से इस जिला में अवशेष किरासन तेल 20193.66 लीटर समायोजित करते हुए 24 टैंक लौरी अर्थात 24x12000=288000 लीटर किरासन तेल का मासिक आवंटन प्राप्त हुआ है। मई-2018 में वितरण के पश्चात् प्रपत्र-9 के अनुसार जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास अवशेष किरासन तेल 6664.10 लीटर है। थोक विक्रेता के पास अवशेष 21733.66 लीटर है। इस प्रकार कुल उपलब्ध किरासन तेल 288000+21733.66=309733.66 लीटर होता है। प्राप्त आवंटन के आलोक में जिला के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित ग्रामीण परिवारों एवं Non-NFSA ग्रामीण परिवारों को प्रति परिवार 1.50 लीटर की मात्रा में किरासन तेल का प्रखंडवार उपावंटन निम्नवत् किया जाता है :-

(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित परिवारों के लिए

**प्रखंडवार किरासन तेल का उपावंटन विवरणी :-**

क्र0	प्रखण्ड का नाम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित ग्रामीण परिवारों की संख्या	Non-NFSA ग्रामीण परिवारों की संख्या	कुल परिवारों की संख्या	उपावंटन प्रति परिवार 1.50 लीटर की मात्रा के अनुसार
1	2	3	4	5	6
1.	सदर मुंगेर	20873	4362	25235	37852.50
2.	जमालपुर	14809	4560	19369	29053.50
3.	बरियारपुर	17108	3301	20409	30613.50
4.	धरहरा	21733	4151	25884	38826.00
5.	खड़गपुर	31279	5568	36847	55270.50
6.	टेटियाबम्बर	13632	1759	15391	23086.50
7.	तारापुर	16489	4253	20742	31113.00
8.	संग्रामपुर	16259	2684	18943	28414.50
9.	असरगंज	12489	1757	14246	21369.00
कुल :-		164671	32395	197066	295599.00

सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक-1869/ खाद्य, दिनांक-13.04.2018 के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित ग्रामीण परिवारों को प्रति परिवार 1.50 लीटर की दर से राशन कार्ड के आधार पर तथा Non-NFSA परिवारों को प्रति परिवार 1.50 लीटर की दर से पूर्व निर्गत ए0पी0एल0 कार्ड अथवा पुरानी पारिवारिक सर्वेक्षण सूची के आधार पर एवं आधार संख्या तथा बैंक एकाउन्ट अथवा फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर किरासन तेल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के झुग्गी-झोपड़ी, छात्रावास, रैन-बसैरा, दलित कॉलोनी इत्यादि में वितरण हेतु प्रत्येक ठेला भेन्डर को प्रतिमाह 400 लीटर किरासन तेल का प्रावधान है।

2. प्रखंडों के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को कम दूरी पर स्थित एवं भौगोलिक दूरी को ध्यान में रखते हुए किरासन तेल का मासिक उपावंटन थोक किरासन तेल विक्रेता के प्रतिष्ठान के साथ निम्नवत् सम्बद्ध किया जाता है :-

**थोक किरासन तेल विक्रेतावार आवंटन तालिका एवं क्षेत्रों की सम्बद्धता :-**

क्र 0	थोक किरासन तेल विक्रेताओं का नाम/प्रतिष्ठान	माह जून-2018 में तेल कम्पनी द्वारा थोक विक्रेता को आवंटित किये जाने वाली तेल की मात्रा/टैंकर की संख्या	कुल आवंटित मात्रा	सम्बद्ध प्रखंड क्षेत्र का नाम	उपावंटित किरासन तेल की मात्रा लीटर में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	मे0 धरहरा पेट्रोलियम, धरहरा (आई0ओ0सी0 एजेन्ट)	30000/2.5 टैंक लौरी पूर्व माह का अवशेष-11782.00 कुल-30000+11782=41782.00	41782.00	धरहरा प्रखंड	38377.00	
				धरहरा थाना	140	
				हेमजापुर ओ0पी0	60	
				थोक विक्रेता के पास सुरक्षित	3205.00	
कुल योग :-					41782.00	

